छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

छात्रावास नियमावली

1. छात्रावास कक्ष का आंवटन छात्रावास के संरक्षक (वार्डन) द्वारा किया जायेगा। संरक्षक अपने विवेकाधीन किसी भी छात्रावासी का कक्ष यदि आवश्यक समझता है, परिवर्तित कर सकता है, परंतु किसी छात्रावासी को बिना सरंक्षक के लिखित अनुमोदन के अपना कक्ष परिवर्तित अथवा सहछात्रावासी को परिवर्तित करने का अधिकार नही होगा।

2. सरंक्षक (वार्डन) को अधिकार होगा कि किसी छात्रावासी को छात्रावास के सामान्य/ अनुशासनिक नियमों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर उसे बिना कारण बताये उसका प्रवेश वर्जित कर सकती है।

3. छात्रावास के कक्ष का किसी भी समय छात्रावास संरक्षक/विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी अथवा इस अभिप्राय से नियुक्त अधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षक किया जा सकता है।

4. छात्रावास संरक्षक का विशेष परिस्थितियों/आवश्यकता पड़ने पर किसी भी छात्रावास द्वारा कक्ष अस्थाई या स्थाई रुप से खाली कराने का अधिकार होगा। छात्रावासी द्वारा कक्षा खाली करने से मना करने अथवा ताला बन्द कर देने पर उसे अधिकार होगा कि वह कक्ष को खोल कर खाली करा ले।

5. सभी छात्रावासियों को उपस्थिति गणना के समय जो छात्रावास संरक्षक अथवा उसके द्वारा अधिकृत छात्रा प्रमुख द्वारा रात्रि 8 बजे 10 बजे के मध्य की जायेगी, उपस्थित रहना अनिवार्य है। कोई भी छात्रावासी यदि बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अनुपस्थित पाये जाते है तो निर्धारित अर्थदण्ड प्रति अनुपस्थिति या अनुशासनिक कार्यवाही जो दण्ड योग्य होगी। आर्थिक दण्ड का भुगतान छात्रावास सरंक्षक की आख्या के अनुसार शुल्क के साथ जमा करना होगा। लगातार 15 दिनों तक अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने पर छात्रावास का आवंटन निरस्त करते हुए जमा किये गये कक्ष किराये को जब्त कर लिया जायेगा तथा इन तथ्यों से छात्रावासी के अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जायेगा।

6. छात्रावास संरक्षक यदि किसी छात्रावासी को लगातार अनुपस्थित/ बाह्य गमन का दोषी पाते है तो अर्थदण्ड के अधिकार के अतिरिक्त आवश्यक चेतावनी पत्र देगा तथा छात्रावासी द्वारा कोई सुधार न करने की दशा में विश्वविद्यालय के समक्ष अधिकारियों को छात्रावासी के छात्रावास से निष्कासन एवं प्रशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुत करेगा।

7. छात्रावासी को छात्रावास छोड़ने के पूर्व, जिसमें किसी रात्रि अवकाश के दिनों अथवा सेमेस्टर अवसान अवकाश सम्मिलित है निर्धारित प्रपत्र छात्रावास संरक्षक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। वापस आनेपर वह अपने अभिभावक माता/पिता से इस आशय का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र लाकर प्रस्तुत करेगा कि वह अवकाश की अवधि में उसके पास या उसके संज्ञान में अन्यत्र कहीं रहा है।

8. छात्रावास में अनाधिकृत अतिथियों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है। अधिकृत अतिथि केवल बृहस्पतिवार एवं रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में सायं 5 बजे तक छात्रावास के प्रतीक्षलय/ अतिथिगृह में भेंट कर सकते है। उक्त समय के अतिरिक्त किसी अतिथि की छात्रावासी से भेंट न हो सकेगी।

Ravindra Nath

Dr. R.P. Singh
(Warden)

Scanned by CamScanner

9. छात्रावास में किसी प्रकार का झगड़ा, वाद-विवाद करने की अनुमति नही है। किसी प्रकार का अनाचार, अनुचित आचरण अथवा ऐसा व्यवहार जो दूसरे द्वारा अनापेक्षित यदि संरक्षक द्वारा पाया गया है तो ऐसे छात्र पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

10. छात्रावास कक्ष तथा परिसर में सामूहिक पठन-पाठन और शिक्षण के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अनाधिकृत बैठक, गोष्ठी अथवा विचार-विमर्श की अनुमति नही है।

11. यदि कोई छात्रावासी छात्रावास भवन या किसी सम्पत्ति (फर्नीचर या फिटिंग) को किसी प्रकार की क्षति करता है या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करता है तो हुए नुकसान की भरपायी उसके द्वारा की जायेगी।

12. अग्नि अथवा अति ज्वलनशील पदार्थ/वस्तुएं अग्नि अस्त्र अथवा धार व नोंकदार घातक अस्त्र छात्रावास में रखना सर्वथा वर्जित है।

13. किसी भी छात्रावासी को अपने पास नशीले पदार्थ/दवांइयों/ इंजेक्शन अथवा किसी प्रकार का नशीला द्रव्य रखने का अधिकार नही है। कुछ दवाइयों जो जीवन रक्षक श्रेणी में आती है अथवा अन्य दवाईयाँ जो सक्षम चिकित्सक द्वारा संस्तुत हो छात्रावास की संरक्षक की अनुमति तथा संज्ञान में रख सकते है। परंतु किसी भी दशा में अन्य छात्रावासी को किसी भी परिस्थिति व प्रयोगार्थ नहीं दी जायेगी।

14. किसी छात्रावासी के अस्वस्थ्य होने अथवा किसी आकस्मिक दुर्घटना के होने पर चिकित्सीय अधिकारी/ छात्रावास संरक्षक को सूचित करना होगा।

15. छात्रावास कक्ष तथा उसके आस-पास स्वच्छता बनाये रखने का छात्रावासी का दायित्व होगा।

16. किसी भी छात्रावासी को अपना स्वयं का मनोरंजन साधन टेलीविजन, रेडियो/ट्रांजिस्टर, टेपरिकार्डर या रेकार्ड अथवा किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र आदि का अधिकार नहीं होगा।

17. प्रत्येक छात्रावासी यथासम्भव कोई मूल्यवान वस्तु अथवा आभूषण अपने पास नहीं रखेगा। चोरी या अन्य किसी प्रकार की क्षति की अवस्था में छात्रावासी उसका स्वयं जिम्मेदार होगा।

18. छात्रावास में अपना कोई विद्युत उपकरण जैसे-हीटर, प्रेस, टोस्टर, इमरसन राड इत्यादि रखना अथवा प्रयोग करना वर्जित है। यदि किसी छात्रावासी के पास ऐसा कोई विद्युत चलित उपकरण पाया जाता है जो उसे जब्त कर लिया जायेगा।

19. छात्रावासी को कक्ष बन्द करने के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि कक्ष में सभी विद्युत साधन बन्द हो।

20. छात्रावास कक्ष में किसी प्रकार का भोजन पकाना वर्जित है।

21. किसी पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की छात्र को लिखित परीक्षा की अन्तिम तिथि के उपरांत 10 दिनों के अन्दर छात्रावास कक्ष छोड़ना होगा।

Ravindra Nath

(Dr. R.P. Singh)
Warden

Scanned by CamScanner

<u>अनुशासन नियमावली</u>

पुरुष छात्रावास में निवास करने वाले प्रत्येक छात्रावासी से यह अपेक्षा की जाती है कि विश्वविद्यालय परिवार में सामान्य अनुशासन को यथासम्भव निर्धारित नियमों के अधीन अपने आचरण एवं व्यवहार से बनाये रखेंगे।

1. प्रत्येक छात्रावासी न केवल छात्रावास परिसर में बल्कि सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर में अच्छे आचरण, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा तथा अच्छे शैक्षिक वातावरण के निर्माण एवं उसके द्वारा अपने जीवन को संवारने की संकल्पित अवधारणा को आत्मसात करेंगे।

2. कोई भी छात्रावासी जिसने अपने विभागध्यक्ष से अध्ययन अवकाश की अनुमति प्राप्त कर ली है परंतु छात्रावास अधीक्षक की अनुमति प्राप्त किये बिना दस दिवसों से अधिक के लिये छात्रावास से अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध छात्रावास आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

3. छात्रावासी को विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नही होगी यदि उसने छात्रावास के सभी वांछित देय जमा नहीं किये है।

4. छात्रावास परिसर में केवल शैक्षिक, सांस्कृतिक आयोजन अथवा पर्वो के आयोजन व्रार्डन की पूर्व अनुमति के उपरांत ही सम्पन्न किये जा सकते है।

5. कोई छात्रावासिनी छात्रावास प्रवास के दौरान किसी वाह्य सामाजिक संस्था अथवा समूह के लिये धन एकत्र करने के कार्यो में भाग नहीं ले सकती है।

6. बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के छात्रावास कक्ष/दीवार अथवा विश्वविद्यालय परिसर की किसी दीवार पर पोस्टर लगाना अथवा छात्र-छात्राओं को हैण्डविल वितरित करना पूर्णतः निषिद्ध है।

7. प्रत्येक छात्रावासी को हमेशा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त परिचय-पत्र अपने पास रखना होगा जिसे मांग करने पर दिखाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त छात्रावासी अपने मूल निवास का पता तथा एक निकट सम्बन्धी का पता, जहां छात्रावासी प्रायः आते-जाते हो या अस्थाई निवास करता हो, छात्रावास की अधीक्षिक के पास प्रवेश के समय अंकित करायेगा। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की स्थिति में उसकी तुरन्त सूचना देना छात्रावासी का दायित्व होगा।

8. किसी भी छात्रावासी को दुराचरण अथवा अनुशासन भंग करने का दोषी पाये जाने पर साक्ष्यों की उपलब्धता तथा दोष की प्रकृति के अनुसार छात्रावास संरक्षक की संस्तुति पर विश्वविद्यालय अध्ययन से निष्कासन भी हो सकता है।

9. छात्रावासी को छात्रावास प्रवास अवधि में दण्डित किये जाने का उसके व्यक्तिगत संदर्भ में अभिलेख रखा जायेगा जो अतिगम्भीर होने पर यदि आवश्यक हुआ तो विश्वविद्यालय छोड़ने पर चरित्र-प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय उसमें अंकित किया जायेगा।

10. छात्रावास में प्रत्येक छात्रावासी को अनुशासन बनाये रखना आवश्यक है।

अनुशासन भंग होने के लिये निम्नलिखित उत्तरदायी होगें:-

क. छात्रावासीय नियम, आदेश तथा सूचनाओं की अवहेलना।

ख. छात्रावास से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की आज्ञावहेलना तथा अनुदेशों को न मानना।

Dr R. P. Siyal
(warden)

ग. कर्कश, कोलाहलपूर्ण, आपत्तिपूर्ण व्यवहार।

घ. कनिष्ठ छात्रों के साथ रैगिंग करना।

ड़. अनियमित उपस्थिति या अनाधिकृत अनुपस्थिति अथवा बिना लिखित अनुमति प्राप्त किये छात्रावास से रात्रि को बाहर रहना।

च. छात्रावास के विभिन्न शुल्कों को समय से जमा न करना।

छ. शिक्षण क्षेत्र में अनुचित साधन प्रयोग का दोषी/ आरोपी होना।

ज. छद्म, असत्य घोषणा अथवा कृत्य का दोषी पाया जाना।

झ. किसी प्रकार के नशीले पदार्थ/दवाओं को रखना या प्रयोग करना अथवा विक्रय करना।

ट. छात्रावास के बाहर जाने से सम्बन्धित रजिस्टर में अपने जाने अथवा आने का उल्लेख (इन्ट्री) न करना अथवा इस हेतु निर्धारित समय से अधिक समय छात्रावास से बाहर रहना।

ठ. किसी प्रकार की अनाधिकृत बैठक करना, जुलूस निकालना तथा उसका संचालन करना।

ड. हड़ताल/भूख हड़ताल/ धरना करना या आयोजित करना या उसमें भाग लेना अथवा भाग लेने के लिये किसी को प्रेरित करना।

त. हिंसा या भय उत्पन्न करना या ऐसे कृत्यों में लिप्तता।

थ. छात्रावास के दूसरे छात्रों के अध्ययन में व्ययधान उत्पन्न करना।

द. छात्रावास की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना।

ध. विश्वविद्यालय परिसर या बाहर किसी अधिकृत अधिकारी के समक्ष अपना परिचय-पत्र प्रस्तुत न करना तथा झगड़ा करना।

ण. लाभयुक्त सेवा करना जिससे अध्ययन बाधित हो।

प. कोई भी कृत्य जो छात्रावास संरक्षक, विश्वविद्यालय शिक्षकों अथवा अधिकारियों द्वारा निरुद्ध किया गया हो।

11. कोई छात्रावासी जो अनुवेदना 15 को किसी कृत्य में लिपत होने या दोषी पाये जाने की दशा में निम्नलिखित दण्ड/दण्डों का उत्तरदायी होगा।

1. चेतावनी
2. सम्पत्ति/परिसम्पत्ति के अनुसार आंशिक या सम्पूर्ण आर्थिक वसूली।
3. अर्थदण्ड (कृत्य एवं अपराध की धारिता अनुसार)
4. छात्रावास में उपलब्ध किसी सुविधा अथवा सेवा से अस्थाई/स्थाई निलम्बन।
5. छात्रावास प्रवास से निलम्बन या निष्कासन।

12. छात्रावास संरक्षक के विचार में किसी छात्रावासी का अनुशासनिक अपराध यदि गम्भीर है तथा अनुच्छेद 16 में प्राविधानिक अर्थदण्ड हुई क्षति से अधिक है तो वह ऐसे मामलों को गठित सलाहाकार समित के विचारर्थ प्रस्तुत करेगा।

Ravindra Nath

Dr. R.P Singh (Warden)

Scanned by CamScanner

यह दण्ड छात्रावासी के स्थाई अभिलेख में अंकित किया जायेगा और अंत में छात्रावासी के चरित्र प्रमाण पत्र में भी उल्लिखित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि वह छात्रावासी निर्धारित की गई चरित्र सुधार परवीक्षा में रहेगी तथा एक चेतावनी भी स्थापित की जायेगी कि अपराध की पुनरावृत्ति होने पर उसे छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है। चरित्र सुधार परवीक्षा अवधि मे छात्रावासी किसी आर्थिक छूट पाने या वि0वि0 के आयोजन समारोहों में प्रतिनिधित्व वादित रहेंगे।

13. छात्रावासी के विरुद्ध शिकायतों के विचारण की अवधि में भी छात्रावासी चरित्र सुधार परवीक्षा में माना जायेगा।

14. अनुशासन के अत्यधिक गम्भीर होने पर छात्रावासी का मामला सलाहकार समिति की संस्तुति के साथ कुलपति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जिस पर दण्डित करने/क्षमा करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

15. कोई छात्रावासी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से छात्रावास परिसर में रैगिंग करने की दोषी पाये जाने पर उसे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

छात्रावास में पुनः प्रवेशः-

छात्रावासी को प्रावधान के अधीन छात्रावास निष्कासन/निलम्बन दण्ड के उपरांत उसका पुर्नप्रवेश निम्नलिखित दशाओं में विचारण योग्य होगाः-

1. किसी छात्रावासी को छात्रवास में पुर्नप्रवेश उसका अधिकार नही होगा। पुर्नप्रवेश मात्र उसके द्वारा शर्त विहीन लिखित क्षमा याचना प्रस्तुत करने पर (क्षतिपूर्ति के आधार पर) ही विचारणीय होगा।

2. छात्रावासी पुनप्रवेश के बाद वि0वि0 में शेष अध्ययन अवधि में आचरण परवीक्षा में रहेगी।

3. छात्रावासी को प्रावधानानुसार अपने माता-पिता अथवा सरंक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अच्छे व्यवहार का आशवासन पत्र देना होगा जो उसके शेष छात्रावास निवास अवधि में निरंतर प्रभावी रहेगा।

4. यदि छात्रावासी किसी आपराधिक अनुच्छेदके अंतगर्त स्थाई रुप से दण्डित कर छात्रावास से निष्कासित कर दी गई है तो वह पुर्नप्रवेश हेतु दो सेमेस्टर/संस्तुति के साथ पुर्नप्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है। पुर्नप्रवेश की दशा में उपरोक्त अनुच्छेद (3) का नियम प्रभावी होगा।

5. किसी भी छात्रावासी के पुर्नप्रवेश हेतु सुविधा का अधिकार नही होगा यदि उसने निष्कासन दण्ड के पूर्व कम से कम दो सेमेस्टर/ एक कलेण्डर सत्र में अपना संतोषजनक व्यवहार प्रदर्शन न किया हो।

6. किसी भी छात्रावासी को पुर्नप्रवेश हेतु उसके आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा यदि उसने अपने आवदेन में अनुशासन की पवित्रता बनाए रखने का आश्वासन नही दिया है। उपरोक्त अनुच्छेद 1,3,4, व 5 की पूर्ति न की हो।

7. छात्रावास में पुर्नप्रवेश के समय अनुशासन समिति की अनुशंसा एवं निर्णय प्रत्येक दशा में निर्णयार्थ में ग्रहण किये जायेगें। परिस्थतियों के अधीन उसके द्वारा पारित अंतिम निष्कासन का निर्णय मान्य होगा।

Ravindra Nath

Dr. R.P. Singh
(Warden)

Roshni Printers/2015

Scanned by CamScanner